भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5387

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

धनबाद और बोकारो के लिए किफायती किराया आवास परिसर योजना

5387. श्री बुलू महतोः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि धनबाद और बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त केंद्रों में शहरी प्रवासियों और गरीबों को जीवनयापन में सुगमता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत एक उप-योजना, किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): जी, हां। धनबाद और बोकारो झारखंड के प्रमुख औद्योगिक केन्द्र हैं।

(ख) और (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी प्रवासियों/गरीब व्यक्तियों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन यापन के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में वर्ष 2020 में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) शुरू की हैं। इस योजना को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

i. मॉडल-**1:** जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली आवासों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा।

ii मॉडल-**2:** सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी के निर्माण, संचालन और रखरखाव द्वारा।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/कम आय वर्ग (एलआएईजी) के शहरी प्रवासी/ गरीब व्यक्ति एआरएचसी के लाभार्थी हैं।

एमओएचयूए को झारखंड राज्य से एआरएचसी के निर्माण हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू **2.0** 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है, ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से **1** करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास का निर्माण कराया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक एआऱएचसी की सीख पर आधारित है और इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब व्यक्तियों जो अपना आवास नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए आवास की आवश्यकता है, सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यू)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लाभार्थियों के लिए किराये के आवास परियोजनाओं का निर्माण करना है। पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशा-निर्देश **https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-**2.**pdf** पर देखे जा सकते हैं।